न्यायालय उप जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

पीठासीन अधिकारीः—अनिल कुमार चौधरी (आर०ए०एस०)

मु०न०
01/2021 ता०रजू
29.01.2021

निर्णय दिनांक
10/06/2024

1. धीरज उम्र 18 वर्ष पुत्र मलखान
2. कविता उम्र 20 वर्ष पुत्री मलखान
3. अंजना उम्र 22 वर्ष पुत्री मलखान
4. नीरज उम्र 12 वर्ष पुत्र मलखान
5. सीता उम्र 14 वर्ष पुत्री मलखान जरिये संरक्षक मॉ बिलासी पत्नी मलखान
6. बिलासी पत्नी मलखान उम्र 48 वर्ष समस्त जाति मीना निवासी लहसोडा तहसील सवाई माधोपुर

प्रार्थी

बनाम

1. सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार सवाई माधोपुर
2. तेजराम पुत्र रामसहाय
3. रामबाई पत्नी रामसहाय
4. प्रेमदेवी पत्नी टीकाराम
5. मोती पुत्री हरनारायण समस्त जातियान मीना निवासीयान छारोदा तहसील सवाई माधोपुर

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र धारा 136 एल0आर0एक्ट

उपस्थितः—

1. श्री जगदीश प्रसाद शर्मा प्रार्थी की और से।

:— निर्णय —:

Signature Not Verified

Digitally signed by Damoda
Date: 2025.09.12 14:03:20
Reason: SelfAttested

प्रार्थीगण ने जरिये वकील एक प्रार्थना पत्र धारा 136 एल0आर0एक्ट ... किया जिसका विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण राजस्व ग्राम लहसोडा तहसील जिला सवाई माधोपुर के मूल निवासी है एवं काश्तकार पेशा व्यक्ति हैं। प्रार्थीगणों के स्वामित्व व आधिपत्य की कृषि भूमि राजस्व ग्राम लहसोडा तहसील सवाई माधोपुर के खाता संख्या 330 में अंकित कृषि भूमि खसरा नं0 39/2660

कलेक्टर
माधोपुर

रकबा 1.29 है०, ख0नं0 29/2661 रकबा 0.71 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 2.00 है० राजस्व जमाबन्दी सम्वत् 2070 से 2073 में दर्ज है प्रार्थीगणों के पिता की मृत्यु होने पर विरासत का नामान्तकरण संख्या 1446 दिनांक 20.09.17 को प्रार्थीगणों के नाम से स्वीकृत हुआ था । जमाबन्दी में नामान्तकरण संख्या 1446 का नोट दर्ज हैं। मौके पर प्रार्थीगणों के पिता ने चक के रूप में खेत बनाकर पुख्ता दीवार व फेसिंग भी कर रखी हैं। विपक्षी संख्या 5 ने दिनांक 31.08.18 को इकरार नामा भी सहमति बाबत् लिख कर दिया था। हाल ट्रेस शीट के अनुसार मौके पर प्रार्थीगणों के भौतिक कब्जे की भूमि हाल खसरा नं0 39/2653 रकबा 1.06 है0 मेंप्रार्थीगणों ने 10 वर्ष पूर्व से अमरूदों का बगीचा लगा रखा है एवं खसरा नं0 39/2653 रकबा 1.06 हैं0 पर विपक्षीगणों का कभी भी भौतिक कब्जा नही रहा। प्रार्थीगणों के नाम से दर्ज कृषि भूमि खत्तरा नं0 39/2661 रकबा 0.71 हैं० पर प्रार्थीगणों का भौतिक कब्जा भी नहीं है। प्रार्थीगणों के नाम दर्ज कृषि भूमि खसरा नं0 39/2661 रकबा 0.71 है0 पर विपक्षी संख्या 2 लगायत 5 ने भौतिक कब्जा कर रखा है। उपरोक्त विवाद माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में दिनांक 30.12.20 को विपक्षीगण मौके पर आकर विवाद पैदा करने की धमकी देये जाने के कारण मुताविक कब्जा दुरूस्ती इन्द्राज करवाना आवश्यक हो गया है। हाल खसरा नं0 39/2660, 39/2661, 39/2653, 39/2660 का साविक खसरा नं0 4 का बहुत बडा रकबा था। भू प्रबन्ध विभाग ने प्रथम बार तरमीम की वह मुताविक भौतिक कब्जे कास्त के नही की है इसलिये मुताविक कब्जा दुरूस्ती इन्द्राज करनेका क्षेत्राधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त हैं। अतः श्रीमान् जी की सेवामें प्रार्थना पत्र दुरूस्ती इन्द्राज अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0 एक्ट मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि तहसीलदार, सवाई माधोपुर से साविक एवं हाल राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार मौके की तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट तलबकी जाकर साविक कब्जा दुरूस्ती इन्द्राज किया जावें एवं तहसीलदार सवाई माधोपुर को आदेशित किया जावें कि प्रार्थीगणोंके नाम से दर्ज खसरा नं0 39/3661, विपक्षीगणों के नाम से एवंविपक्षीगणों के नाम दर्ज खसरा नं0 39/2653 का इन्द्राज मुताविक कब्जा प्रार्थीगणों के नाम से किया जावें। आपकी कृपा होगी ।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की जरिये नोटिस तलबी की गयी। प्रकरण में प्रकरण से संबंधित तथ्यात्मक रिपोर्ट तहसीलदार सवाई माधोपुर से तलब की गयी। तहसीलदार सवाई माधोपुर ने अपनी रिपोर्ट में

Signature Not Verified
Digitally signed by Damodar Singh
Date: 2025.09.12 14:03:20 IST
Reason: SelfAttested

29/2661 रकबा 0.71 किता 2 रकबा 2.00 के नाम दर्ज है तथा प्रतिवादी सं0 2 ल.5 की खातेदारी भूमि ख0न0 39/2653 रकबा 1.06 है0 है। जिस पर वादीगण का कब्जा काश्त है तथा मौके पर बगीचा अमरूद लगा रखा है तथा वादीगण की स्वयं की खातेदारी ख0न0 39/2661 रकबा 0.71 है0 पर प्रतिवादीगण का कब्जा काश्त है। वादी के वाद पत्र की जांच की वाद पत्र में वादी द्वारा भू प्रबंध कार्यवाही से पूर्व का किसी प्रकार का दस्तावेज संलग्न नहीं किया है कि वादी को किस साविक खसरा नंबर में से आवंटन हुआ है तथा प्रतिवादी को किस खसरा नंबर में से आवंटन हुआ है। स्पष्ट नहीं होता है तथा वादी का वाद पत्र एलआर एक्ट 1956 की धारा 136 के अंतर्गत नहीं आता है।

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के साथ जमाबंदी सम्वत 2070 से 2073 की खाता संख्या 330,483, जमाबंदी साविक सम्वत् 2042 से 2045, साविक ट्रेसशीट, हाल ट्रेसशीट, सहमति पत्र दिनांक 31.08.2018 की प्रतिया संलग्न की है।

प्रकरण में वकील प्रार्थी की बहस सूनी। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में बताया है कि राजस्व ग्राम लहसोडा के खसरा नम्बर 39/3661 रकबा 0.71 है0 प्रार्थीगण के खातेदार है तथा खसरा नम्बर 39/2653 रकबा 1.06 है0 भूमि के खातेदार अप्रार्थीगण है। परन्तु उक्त खसरा नम्बरान में प्रार्थीगण अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि पर कब्जा है तथा इसी प्रकार अप्रार्थीगण का प्रार्थीगण की भूमि पर कब्जा काश्त है। अतः उक्त प्रकरण को स्वीकार किया जाकर कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकारी देने की घोषणा फरमाने की कृपा करें।

पत्रावली में वकील प्रार्थी की बहस सूनी तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। प्रार्थी अपने खातेदारी भूमि को अप्रार्थीगण की खातेदारी से कब्जा के आधार पर परिवर्तन करवाना चाहता है। तहसीलदार सवाई माधोपुर की रिपोर्ट के अनुसार वादीगण की मुताबिक राजस्व रिकार्ड जमाबंदी के ग्राम लहसोडा तहसील सवाई माधोपुर के ख0न0 39/2660 रकबा 1.29, ख0न0 39/2661 रकबा 0.71 किता 2 रकबा 2.00 के नाम दर्ज है तथा प्रतिवादी सं0 2 ता 5 की खातेदारी भूमि ख0न0 39/2653 रकबा 1.06 है0 है। जिस पर वादीगण का कब्जा काश्त है तथा मौके पर बगीचा अमरूद लगा रखा है तथा वादीगण की स्वयं की खातेदारी ख0न0 39/2661 रकबा 0.71 है0 पर प्रतिवादीगण का कब्जा काश्त है। वादी के वाद पत्र की जांच की वाद पत्र में वादी द्वारा भू प्रबंध कार्यवाही से पूर्व का किसी प्रकार का दस्तावेज संलग्न नहीं किया है कि वादी को किस साविक खसरा नंबर में से आवंटन हुआ है तथा प्रतिवादी को किस खसरा नंबर में से आवंटन हुआ है। वादी का वाद पत्र एलआर एक्ट 1956 की

Signature Not Verified
Digitally signed by Damodar Sin
Date: 2025.09.12 14:03:20 IST
Reason: SelfAttested

धारा 136 के अंतर्गत नहीं आता है। परन्तु प्रार्थी ने उक्त प्रकरण धारा 136 एलआरएक्ट में पेश किया गया जो सही नही है क्योकि धारा 136 एलआरएक्ट का दायरा छोटा होता है। उक्त प्रकरण को गवाह एवं साक्ष्य के आधार पर गुणावगुण के आधार पर ही इन्द्राज दुरूस्ती व खातेदारी की घोषणा की जा सकती है। परन्तु प्रार्थी ने उक्त प्रकरण धारा 136 एलआरएक्ट में पेश किया जो सही नही है। अतः न्यायहित में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतित नही होता है। अतः प्रार्थीगण वाद दायर कर उक्त प्रकरण में अनुतोष प्राप्त कर सकता है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 10/06/24 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दफ्तर दाखिला हों।

(अनिल कुमार चौधरी)
उप जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Damodar Singh
Date: 2025.09.12 14:03:20 IST
Reason: SelfAttested